भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2268

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली में स्वास्थ्य सुविधाएं

2268. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली के सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे, सीटी-स्कैन, एमआरआई और अन्य सुविधाओं के लिए रोगियों से किन दरों पर शुल्क लिया जा रहा है;
(ख) क्या यह संविधान के सिद्धांतों से विपरीत है, कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मरीजों से शुल्क लिया जाए, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में 'स्वास्थ्य के अधिकार' को स्वाभाविक रूप से मान्यता दी गई है;
(ग) क्या संघ राज्यक्षेत्र दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली में ऐसी कोई सुविधा है जहां रोगी अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त उपचार का लाभ उठा सकते हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के संघ राज्य क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी सेवाएं निःशुल्क है।

तथापि, भारत सरकार द्वारा जारी "जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में रोगी कल्याण समितियों के लिए दिशा-निर्देश" के प्रावधानों के अनुसार रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत जिला अस्पतालों में कुछ सेवाओं के लिए न्यूनतम शुल्क 'प्रयोक्ता शुल्क' के रूप में लिया जाता है। इसके अलावा, (i) बीपीएल श्रेणी (ii) एससी/एसटी श्रेणी (iii) स्वतंत्रता सेनानी (iv) आपातकालीन और चिकित्सा-विधि मामलों वाले व्यक्ति (v) **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत भर्ती किए गए मरीज और (vi) प्रसव के बाद 6 सप्ताह** तक की

गर्भवती महिलाएँ और 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए शुल्क में छूट दी गई है। इसके अलावा, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा गठित एक समिति होती है जो किसी अन्य श्रेणी के लिए प्रयोक्ता शुल्क में छूट देने के लिए प्राधिकृत है, जहाँ रोगी शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्रम संख्या	**संरचना**	**पदनाम**
1	चिकित्सा अधीक्षक / सहायक चिकित्सा अधीक्षक	अध्यक्ष
2	नर्सिंग अधीक्षक / गुणवत्ता आश्वासन स्वतंत्र प्रभारी/प्रभारी जिला अस्पताल के प्रबंधक	सदस्य
3	जिला अस्पताल लेखाकार	सदस्य
4	जिला पंचायत द्वारा नामित एक निर्वाचित प्रतिनिधि	नामित सदस्य

*****